**प्रेस नोट                    पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद                    दिनांक 12.12.2024**

**थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा अपना नाम व पता बदलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर कारोबारी की करोड़ों की जमीन पर कब्जा करने वाला गैंगस्टर अधिनियम में वाँछित इनामी 01 अभियुक्त गिरफ्तार।**

दिनांक 19.09.2024 को थाना साहिबाबाद पर धोखाधड़ी कर ग्राम अर्थला में खसरा सं0 1162, 1218, 1217/2, 1255/1, 1275, 1274 एवं 1271 की भूमि के फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोह के विरूद्ध गैगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया था। दिनांक 11.12.2024 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा उक्त अभियोग में वाँछित चल रहे अभियुक्त राजकुमार गर्ग पुत्र स्व0 सूरजमल गर्ग निवासी अबूपुरा मोहल्ला थाना कोतवाली शहर मुजफ्फरनगर वर्तमान निवासी किराये का मकान म.न. 1323 सेक्टर नंबर 1 गुर्जरों के मंदिर के पास पार्क के सामने माधवपुरम मेरठ को गिरफ्तार किया गया है। थाना साहिबाबाद पर पंजीकृत अभियोगों के सम्बन्ध में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण**

गिरफ्तार अभियुक्त राजकुमार गर्ग उपरोक्त से पूछताछ पर यह तथ्य सामने आया कि राजकुमार गर्ग मूल रूप से अबूपुरा मोहल्ला थाना कोतवाली शहर जनपद मुजफ्फरनगर का निवासी है। इसके पिता का नाम सूरजमल गर्ग पुत्र हरेराम गर्ग, माँ का नाम भगवती एवं सौतेली माँ दयावती है। इसके परिवार में 02 भाई व 07 बहने, पत्नी ऊषा तथा 01 पुत्र एवं 03 पुत्रियाँ है। वर्तमान में यह अपने परिवार के साथ म.न. 1323 सेक्टर नंबर 1 गुर्जरों के मंदिर के पास पार्क के सामने माधवपुरम मेरठ में किराये के मकान में रह रहा है।

राजकुमार गर्ग करीब 18 वर्ष की उम्र में गाजियाबाद आ गया था यहाँ पर किराये के मकानों में रहकर छोटा मोटा प्रोपर्टी डीलिंग का काम करता था। वर्ष 2017-18 में इसको जानकारी प्राप्त हुई कि ग्राम अर्थला मैट्रो स्टेशन के पास करोडों रूपये की खाली जमीन पड़ी हुई है, यह जमीन किसी राजकुमार अग्रवाल संयुक्त हिन्दु परिवार (एच0यू0एफ0) द्वारा राजकुमार अग्रवाल पुत्र गोपालदास निवासी 149 जी0टी0 रोड साहिबाबाद गाजियाबाद के नाम पंजीकृत है चूँकि राजकुमार अग्रवाल उपरोक्त यहाँ नही रहते थे, अत: राजकुमार गर्ग ने उक्त भूमि पर कब्जा करने की नियत से अपने आधार कार्ड, वोटर कार्ड, में अपना नाम राजकुमार गर्ग के स्थान पर राजकुमार अग्रवाल तथा पिता का नाम सूरजमल गर्ग के स्थान पर गोपालदास अग्रवाल दर्ज कराया उसके बाद उसने पुन: इस जमीन के फर्जी कागजात तैयार कराये।

**अपराध करने का तरीका**—राजकुमार गर्ग उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि जब उसको जानकारी प्राप्त हुई कि अर्थला मेट्रो स्टेशन के पास करोड़ो रुपये की खाली पड़ी जमीन के स्वामी राजकुमार अग्रवाल पुत्र गोपालदास अग्रवाल निवासी 149 जी0टी0 रोड़ साहिबाबाद गाजियाबाद यहां नही रहते हैं, तो इसने सबसे पहले उक्त खाली पड़ी जमीन पर कब्जा करने के नियत से अपनी पुरानी पहचान को मिटाने के लिये अपने पुराना आधार कार्ड, वोटर कार्ड से अपना नाम

राजकुमार गर्ग के स्थान पर राजकुमार अग्रवाल तथा पिता का नाम सूरजमल गर्ग के स्थान पर गोपालदास अग्रवाल दर्ज कराया, इसके बाद अपने पुराने बैंक खाते को बन्द कराते हुये नये नाम/पहचान से बैंको में नये खाते खुलवाये। तत्पश्चात इसने ग्राम अर्थला में खसरा सं0 834, 840, 841, 1162, 1163, 1217/2, 1218, 1244, 1252, 1254, 1255/1, 1259, 1260, 1261, 1262, 1271, 1273, 1274, 1275, 1276, 1287, 1280, 1288, 1291, 1292, 1293, 1295, 1296, 1297, 1317, 1392, 1397 के फर्जी पार्टनरशिप डीड, मुख्तारनामा व एग्रीमेन्ट तैयार किये। इन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दलालों के माध्यम से राजकुमार गर्ग नये ग्राहकों को ढूढंता था और इनको अपनी सम्पत्ति बताते हुये फर्जी डीड तैयार कर टोकन मनी ले लेता था और गायब हो जाता था, इसके बाद पुन: नये ग्राहकों की तलाश करता था।

इसके द्वारा अब तक 07 बार इन फर्जी दस्तावेजों के आधार धोखाधड़ी की घटनायें संज्ञान में आयीं हैं। इसके द्वारा रविन्द्र सिंह पुत्र करन सिंह निवासी मण्डोली दिल्ली के साथ इसी प्रकार धोखाधड़ी की गयी, इसके अतिरिक्त दिलीप सिंह पुत्र प्रवेन्द्र सिंह निवासी गली न0 01 शाहदरा दिल्ली के साथ भी उक्त धोखाधड़ी का प्रयास किया गया। इस सम्बन्ध में और अधिक गहनता से जाँच की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता**

राजकुमार गर्ग पुत्र स्व0 सूरजमल गर्ग निवासी अबूपुरा मोहल्ला थाना कोतवाली शहर मुजफ्फरनगर वर्तमान निवासी किराये का मकान म.न. 1323 सेक्टर नंबर 1 गुर्जरों के मंदिर के पास पार्क के सामने माधवपुरम मेरठ उम्र 72 वर्ष।

**गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास**

अभियुक्त राजकुमार गर्ग उपरोक्त पर थाना साहिबाबाद पर धोखाधड़ी व गैगस्टर एक्ट से सम्बन्धित 07 अभियोग पंजीकृत है।

1. मु0अ0सं0 1478/20 धारा 147/447/448/511 IPC थाना साहिबाबाद गाजियाबाद
2. मु0अ0सं0 1535/20 धारा 420,467,468,120B IPC थाना साहिबाबाद गाजियाबाद
3. मु0अ0सं0 2105/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद
4. मु0अ0स0 159/24 धारा419/420/467/468/471/506/34 IPC थाना साहिबाबाद गाजियाबाद
5. मु0अ0सं0 514/24 धारा 420,467,468,471,120B IPC थाना साहिबाबाद गाजियाबाद
6. मु0अ0सं0 767/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद
7. मु0अ0सं0 1032/24 धारा धारा 420/467/468/471 IPC थाना साहिबाबाद गाजियाबाद

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम**

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम

**थाना भोजपुर पुलिस द्वारा लूट की घटना के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध चाकू बरामद।**

दिनाकं 10.12.2024 को वादी अर्जुन पुत्र कंचन सिंह निवासी कनावली थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद द्वारा सूचना दी गई थी कि 01 लड़की व 02 लडके नाम पता अज्ञात द्वारा वादी की कार को बरेली ले जाने के नाम पर बुलाकर वादी की गर्दन पर चाकू लगाकर गाडी छीन कर ले जाना। उपरोक्त सूचना पर थाना भोजपुर पुलिस द्वारा तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी हेतु टीमों का गठन कर जगह जगह पर चैकिंग अभियान चलाये गये। तत्पश्चात दिनांक 11.12.2024 को थाना भोजपुर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर भटजन की तरफ जाने वाले रास्ते चन्देला फार्म हाउस के पास से अभियुक्ता 1. मुस्कान भाटी पुत्री शिव कुमार निवासी गली नं0 03 लालू डेरी व लगडे बाबा के मंदिर के पास संतपुरा गोविन्दपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष व 02 अभियुक्त 2. अभिमन्यु पुत्र रामभजन शर्मा निवासी म0नं0 204 पुस्ता पार्ट, पार्ट –सी कनावली थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष 3. करन रवि पुत्र राजू चौधरी निवासी डी मॉल झुग्गी नं0 03 थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष को गिरफ्तार कर जिनके कब्जे से लूटी गयी कार, मोबाइल व घटना में प्रयुक्त कार, मोबाइल व अवैध चाकू बरामदगी कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है।

आज दिनांक 12.12.2024 थाना भोजपुर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मोदीनगर रोड से ग्राम पट्टी को जाने वाले रास्ते से उपरोक्त घटना में वांछित अभियुक्त रितिक पुत्र अजीत सिंह निवासी गोविन्दपुरी हनुमानपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध चाकू बरामद हुआ। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण-**

अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि हम चारों लोग आपस में अभिमन्यु, रवि उर्फ करन व रितिक व मुस्कान एक दूसरे को पहले से ही जानते थे हम चारों लोगो ने एक योजना बनाई कि हम लोग किसी व्यक्ति या उसके माल को लूट कर व उसे बेच कर मौजमस्ती करने तथा घूमने फिरने कहीं चलेंगे, दिनांक 09.12.2024 को उपरोक्त योजना के तहत अभिमन्यु ने मुस्कान को एक ओला कैब वाले ड्राईवर का मोबाइल नम्बर दिया और कहा कि इसको फोन करके कहो कि मुझे बरेली जाना है और इसे बुलाओ फिर हम लोग योजना के तहत इसकी कार को लूट कर उसे बेचकर हम चारों लोग मौज मस्ती करेंगे। उक्त मोबाइल नम्बर पर लगभग दोपहर के 02 बजे मुस्कान ने ओला कैव ड्राईवर को फोन किया और बताया कि मुझे बरेली जाना है तो इस बात पर ओला ड्राईवर ने कहा कि आप कितने बजे बरेली के लिए जाओगी तो इस बात पर मुस्कान ने कहा कि मैं शाम के लगभग 07 बजे मोदीनगर से बरेली के लिए जाऊंगी और ओला कैव का ड्राईवर शाम के समय लगभग 07 बजे मोदीनगर आ गया। और योजना के तहत मैं,मुस्कान, रवि उर्फ करन हम तीनों लोग उसकी कार में बैठ गये तथा हम लोगों में से चौथा व्यक्ति अभिमन्यु अपनी कार से हम लोगो के पीछे पीछे चलने लगा तथा जब हम लोग ग्राम मछरी के रास्ते पर पहुंचे तो हम लोगों ने कहा कि हम तीनों में से हमारा एक साथी किसी गांव में जायेगा और उसको उसके गांव में छोडकर बरेली चल देंगे। हमने कार को मोदीनगर से ग्राम मछरी की तरफ को जाने वाले रास्ते की तरफ को मुड़वा दिया और सुनसान रास्ता देखकर अंधेरे का फायदा उठाकर ओला ड्राइवर के ऊपर रवि उर्फ करन व मैंने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया और उसको कार से नीचे उतार लिया तभी पीछे से अपनी कार से अभिमन्यु भी हमारे पास आ गया फिर हम चारों लोगों ने ओला ड्राइवर की स्विफ्ट कार व मोबाइल को लूट लिया फिर हम तीनों लोग उसी कार में बैठकर व अभिमन्यु अपनी कार में बैठकर ग्राम मछरी की तरफ भाग गये।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

रितिक पुत्र अजीत उर्फ सोनू निवासी गोविन्दपुरी हनुमानपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष।

**बरामदगी का विवरण-**

घटना में प्रयुक्त एक अवैध चाकू बरामद।

**आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-**

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

**थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 ई-रिक्शा, चोरी की 03 बैटरी व 380/- रुपये बरामद।**

दिनांक 11.12.24 को थाना शालीमार गार्डन पर वादी साहिल पुत्र युनूस निवासी म0न0ए-248, 60 फुटा रोड गरिमा गार्डन टीलामोड़ ने लिखित तहरीर दी और बताया कि करनगेट चौकी के पीछे कार्य कर रहा था तभी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरा ई-रिक्श चोरी करने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसके क्रम में आज दिनांक 12.12.24 थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेंकिग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 02 अभियुक्त 1. अमित राज पुत्र रामकिशन निवासी ब्लाक –सी 402 राजीव कॉलोनी मोहननगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष व 2. राहुल कश्यप पुत्र संतोष कश्यप निवासी गली नं0 4 न्यू करेहडा कालोनी मोहननगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 26 बर्ष को पसौण्डा पुलिया कट शालीमार गार्डन से चोरी का 01 ई-रिक्शा, चोरी की 03 बैटरी व 380/- रुपये सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण**

गिरफ्तार अभियुक्त अमित राज पुत्र रामकिशन व राहुल कश्यप पुत्र संतोष कश्यप उफरोक्त ने पूछताछ में बताया कि हम दोनों मिलकर दिनांक 16.11.2024 की रात्रि में गली न0 7 राजीव कॉलोनी से एक रिक्शा चोरी किया था जो हम दोनों ने चलते फिरते कबाडी को 15 हजार रुपये मे बेच दिया था और पैसे हम लोगों ने बराबर आपस में बाँट लिये थे। यह जो ई-रिक्शा हम लोगों से बरामद हुआ है उसे हमने कल दिनांक 11.12.2024 को एक साथ मिलकर सर्विस रोड़ राजेन्द्र नगर सैक्टर 02 म0नं0 7/5 के पास से चोरी किया था। आज हम दोनों इस ई-रिक्शा को बेचने जा रहे थे। इस ई-रिक्शा की एक बैंटरी हम दोनों ने कल एक चलते फिरते कबाडी को 1000 रूपये में बेच दी थी और पैसे आपस में बांट लिए थे और खर्च कर दिए बचे हुए पैसे हम दोनो से बरामद हुए है, शेष जो तीन बैटरी है। इसी ई-रिक्शे की है।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता**

1. अमित राज पुत्र रामकिशन निवासी ब्लाक –सी 402 राजीव कॉलोनी मोहननगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष ।
2. राहुल कश्यप पुत्र संतोष कश्यप निवासी गली नं0 4 न्यू करेहडा कालोनी मोहननगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 26 बर्ष।

**बरामदगी का विवरण**

- चोरी का 01 ई-रिक्शा, चोरी की 03 बैटरी व 380/- रुपये बरामद।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास**

- गिरफ्तार अभियुक्त अमित राज पुत्र रामकिशन उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर ई-रिक्शा चोरी के सम्बन्ध में 02 अभियोग, थाना साहिबाबाद पर आबकारी अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट व सार्वजनिक जुआ अधिनियम का 01-01 अभियोग पंजीकृत है। कुल 05 अभियोग पंजीकृत है।
- गिरफ्तार अभियुक्त राहुल कश्यप पुत्र संतोष कश्यप उफरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर ई-रिक्शा चोरी के सम्बन्ध में 02 अभियोग पंजीकृत है।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम**

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

**थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 12 हजार रुपये बरामद।**

दिनांक 10.12.24 को थाना शालीमार गार्डन पर वादी श्री राजू अग्रवाल पुत्र दामोदर दास निवासी 134 विक्रंम इन्कलेव शालीमार गार्डन गाजियाबाद द्वारा वादी के घर की अलामारी से अज्ञात चोर द्वारा 50 हजार रुपये चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए दिनांक 11.12.24 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज, मैनुअल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर 01 अभियुक्त आशू पुत्र महेश मूल निवासी वाल्मीकि बस्ती काकपुरा भूनी थाना सरधना जिला मेरठ हाल पता श्रीराम कॉलोनी मित्तल फ्लैट फोर्थ फ्लोर सिटी फोरेस्ट करहैडा थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष को बजीराबाद रोड़ से 80 फुटा रोड़ कट मेडिकल स्टोर के सामने चोरी किये हुए 12 हजार रुपये सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त आशू पुत्र महेश उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण**

गिरफ्तार अभियुक्त आशू पुत्र महेश उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि दो दिन पहले मैंने राजू अग्रवाल के घर से 20 हजार रुपये चोरी किये थे। जिसमें से कुछ मेरे द्वारा जैकेट व जूते खरीदने तथा शौक मौज में खर्च कर दिये है, शेष जो बचे हुए 12 हजार रुपये मुझसे बरामद हुए है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता**

आशू पुत्र महेश मूल निवासी वालमीकि बस्ती काकपुरा भूनी थाना सरधना जिला मेरठ हाल पता श्रीराम कॉलोनी मित्तल फ्लैट फोर्थ फ्लोर सिटी फोरेस्ट करहैडा थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष।

**बरामदगी का विवरण**

- चोरी के 12 हजार रुपये बरामद।

**गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास**

- गिरफ्तार अभियुक्त आशू पुत्र महेश उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम**

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

**थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से पीली धातु का 01 लॉकेट, 01 जोड़ी कान के टॉप्स व सफेद धातु की 01 चैन, 03 नाक की पिन, 01 पैर की बिछिया तथा 210/- रूपये बरामद।**

दिनांक 15.10.2024 को थाना शालीमार गार्डन पर वादिया द्वारा उसके घर से अज्ञात व्यक्ति द्वारा ताला व अलमारी तोड़कर ज्वैलरी व पैसे चोरी होने के सम्बन्ध अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसके क्रम में आज दिनांक 12.12.24 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेंकिग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 01 अभियुक्त जाकिर खान पुत्र साकिर खान उम्र 24 वर्ष निवासी झुग्गी एफ ब्लाक नई सीमापुरी दिल्ली को शिव चौक शालीमार गार्डन से पीली धातु का 01 लॉकेट, 01 जोड़ी कान के टॉपस व सफेद धातु की 01 चैन, 03 नाक की पिन, 01 पैर की बिछिया तथा 210/- रूपये सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त जाकिर खान पुत्र साकिर खान उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण**

गिरफ्तार अभियुक्त जाकिर खान पुत्र साकिर खान उपरोक्त द्वारा पूछताछ में बताया कि मैं घरों पलम्बर काम करने के बहाने जाता हूँ, यदि किसी घर में ताला बन्द मिलता है तो मैं घरों में ताला तोड़ कर चोरी करता हूँ। मैने यह सामान को कुछ दिन पहले होली एंजल स्कूल के सामने फ्लैट के उपरी तल शालीमार गार्डन एक्सटेंशन 02 गाजियाबाद से शाम के समय पर चोरी किया था। मैने इसमें से कुछ सामान पहले ही राह चलते व्यक्तियों को बेच दिये था। आज बचे हुए सामान को मैं बेचने व पुनःचोरी करने की योजना में जा रहा था।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता**

जाकिर खान पुत्र साकिर खान निवासी झुग्गी एफ ब्लाक नई सीमापुरी दिल्ली उम्र 24 वर्ष।

**बरामदगी का विवरण**

पीली धातु का 01 लॉकेट, 01 जोड़ी कान के टॉप्स व सफेद धातु की 01 चैन, 03 नाक की पिन, 01 पैर की बिछिया तथा 210/- रूपये बरामद।

**गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास**

गिरफ्तार अभियुक्त जाकिर खान पुत्र साकिर खान उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर घर का ताला तोड़कर चोरी करने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम**

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।